भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत सत्यमेव जयते INDIA FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514885

ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट

(Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 08.04.2019 को ग्राम बघौड़ा, तहसील–मड़िहान, जिला मीरजापुर (उ0प्र0) द्वारा घोषित किया गया।

1. मुन्नर सिंह पुत्र जगनरायन सिंह निवासी बघौड़ा, पोस्ट–बघौड़ा, तहसील–मड़िहान, जिला–मीरजापुर, आधार सं0–3939 2481 6987, मो0नं0–7985974512(प्रधान ट्रस्टी)

जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रूपया 11,000/– (ग्यारह हजार रूपये मात्र) की राशि है, जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट **ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि विभिन्न स्रोतों से दान उपकार ऋण आदि भी सम्मिलित हैं, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 11,000/– (ग्यारह हजार

२४४/४० मुन्नासिंह पु० भगवानसिंह सा० कन्धौआ [illegible]

[illegible]

राजधर सिंह
स्टाम्प नं०-3, ला० की अवधि......
स्टाम्प विक्रेता, तह० मड़िहान, मीरजापुर

कार्यालय उप निबन्धक [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास

FIFTY RUPEES

Rs.50

...DIA

...N JUDICIAL

BT 514886

... नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट ... पंजी...त कार्यालय **ग्राम बघौड़ा, तहसील–मड़िहान, जिला मीरजापुर (उ0प्र0)** रहेगा अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर उस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य – ट्रस्ट नियम उद्देश्यों पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1– विना लिंग भेद किये सबके लिये प्राथमिक पाठशाला जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा संकास शारीरिक शिक्षासंकाय पुस्तंकालयों वाचनांओं, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालाओं, अनाथालयों, वृद्धाआश्रमों, अनुसांधन केन्द्रो, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रो, सर्वेक्षण केन्द्र सामुदायिक विकाश केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रो की स्थापना करना नामकरण विकास, सम्बद्ध आबद्ध प्रबन्धन संचालन आदि कर सकात तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों

240/70 मुन्नालाल सिंह पु० अनन्तप्रताप सिंह स्था० कोड़ौरा

6-9-18

राजधार सिंह
ला० नं०-3, ला० की अवधि......
स्टाम्प विक्रेता, तह० मड़िहान, मीरजापुर

कार्यालय उप निबन्धक
मड़िहान

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रु.50
FIFTY RUPEES Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514887

विभागो, प्रतिष्ठानों संस्थाओं, स्थानों, शासन आदि से मान्य समद्ध, आवद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

2— ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।

3— खादी ग्राम उद्योग वोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

4— कृषि कार्य हेतु वंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना।

5— उद्यानी करण एवं जंगलात का विकास करना।

6— महिला वाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।

7— प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं (कोचिंग) की स्थापना करना।

8— कृषि संगीत सम्वन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

9— केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नावार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्यास एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार वोर्ड, महिला कल्याण, नेहरु युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।

२५१/५० ... २०० ...

८-९८

राजधर सिंह
लाइ० नं०-3, लाइ० की अवधि......
स्टाम्प विक्रेता, तह० पड़िहान, मीरजापुर

कार्यालय उप निबन्धक
मड़िहान

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514888

10— आई0आई0टी, आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्निशियन, लैव टेक्निशियन, फिजियोथैरिपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग वी0 फार्मो एम0 फार्मो आदि कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

11— समाज के लोगों के लिए हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटोस्टेट, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

12— पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र/पत्रिकाओं, समाचार—पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

13— अन्धे गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा चिकित्सा, आवास भोजन, इत्यादि की व्यवस्था करना।

14— विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक, प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रवन्ध करना।

15— विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र—छात्राओं को सफल वनाकर स्वावलम्वी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि एवं सुविधाओं का व्यवस्था करना।

16— पुस्तकों साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।

३४२/४०

8-4-97

राजधर सिंह
ला0 नं0-3, ता0 की अवधि......
स्टाम्प विक्रेता, तह0 मड़िहान, मीरजापुर

कार्यालय उप निबन्धक
मड़िहान

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514889

17– सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएँ, बैठक, विशेष कक्षाएँ, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।

18– सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

19– व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट में समायोजि कर सकना एवं किसी भी पंजीकृत सोसाइटी को इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

20– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय हेतु अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

21– विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।

22– आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।

23– कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार–प्रसार कर सकना।

24– पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दें प्रचार कर सकना एवं सेमिनार कर सकना।

25– एड्स के बारे में जन–जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।

26– पुस्तक/पुस्तिकाएँ, पत्र–पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित व विक्री कर सकना।

27– ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

२५३/५७ [illegible handwritten endorsement] Maurya

राजधर सिंह
स्टा0 नं0-3, ला0 की अवधि......
स्टाम्प विक्रेता, तह0 [illegible], गोरखपुर

कार्यालय उप निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

25 MAR 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BT 514890

28— पत्राचार द्वारा अध्यापन अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्विधित आवश्यक व्यवस्थाएँ कर सकना।

29— उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधारी, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जनं चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

30— धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोधार कर सकना।

31— बौध मन्दिर का निर्माण करना एवं सभी धर्मो के बीच समन्वय हेतु जागरूकता।

31— जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।

32— विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

33— विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों टेक्निकल कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधार अन्य को प्रदान कर सकना।

34— ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग कर सकना।

35— ट्रस्ट जन सामान्य के लिए द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट तथा सम्भव अपनी सेवायें/वस्तुएँ लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निर्माण मछली पालन, भेड़ बकरी, पशु पालन आदि का प्रचार कर सकना।

३५४६/४० जुन्नीसिंह पु० उग्रसेनसिंह स्था० कछौड़ा [illegible]

[illegible]

राजधर सिंह
स्टा० नं0-3, लाइ की अवधि......
स्टाम्प विक्रेता, तह0 [illegible], [illegible]

कार्यालय उप निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514891

36– ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा। जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

37– ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

38– किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लीनिक का निर्माण करना।

39– किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।

40– संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिये जिला, प्रदेश, देश पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।

41– दलित पिछड़ो अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर राजनैतिक स्तर आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।

42– धरना प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाना।

43– शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।

44– सेक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण देना तथा उनकों रोजगार उपलब्ध कराना।

244/29 गुन्नसिंह पु० उग्रनारायनसिंह ग्राम [illegible]

राजधर सिंह
ला० नं०-3, ला० की अवधि......
स्टाम्प विक्रेता, तह० मड़िहान, मीरजापुर

कार्यालय उप निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514892

प्रारम्भिक उपबन्ध

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकरण के दिनांक से मुन्नर सिंह जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख की रचयिता भी हैं, को इस ट्रस्ट/न्यास का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी प्रधान ट्रस्टी मुन्नर सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के यहॉ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में जब चाहें अपना उत्तरदायित्व अपने विवेक से अपने उत्तराधिकारी/सह ट्रस्टी को हस्तान्तरित कर सकते है।
4. नेब्बू सिंह पुत्र जगनारायण सिंह निवासी बघौरा, तहसील–मड़िहान, जिला–मीरजापुर (ट्रस्टी) आधार सं0–4290 9969 8773, मो0नं0–9793891682

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदांन कर सकता है।

मुन्नर सिंह नेब्बू सिंह

राजधर सिंह
[illegible] नं०-3, आ० की सम्पत्ति......
[illegible], [illegible]

कार्यालय उप निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514893

3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगा जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त है।

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने की स्थिति में उत्तराधिकारी अधिनियम से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहॉ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यालय मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा।

[illegible]

8-6-97

राजधर सिंह

...0 नं0-3, लाठ की अवधि......

... सि.के.ल., तह0 मडिहान, मीरजापुर

25 MAR 2010

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514894

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी तक आपने उत्तराधिकार हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतन्त्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

<u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज–</u>

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो किन्ही या विशेष विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठंन कर सकता है जिसमें अधिकतम 11 सदस्य होंगे।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट व निश्चित करेगा। ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताऐं ट्रस्ट के हित में मनोनीत ट्रस्टी को पद से हटा सकता है।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझें बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

राजधर सिंह

कार्यालय उप निदेशक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514895

4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य तथा अन्तिम होगा।

अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल व सुविधाएँ –

1. यह कि अध्यक्ष ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

2. यह कि ट्रस्टी अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय भत्ते आदि लेता है तो उस पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी अध्यक्ष स्वयं अपनी आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिएं उत्तरदायित्व नहीं होगा।

कार्यक्षेत्र –

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा तथा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी भी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

राजधर सिंह
ला0 नं0-3, ला0 की अवधि......
स्टाम्प विक्रेता, तह0 मड़िहान, मीरजापुर

कार्यालय उप निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514896

<u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार –</u>

मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा–निर्देश दे सकता है, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को मान्य एवं स्वीकार होगा।

<u>उपाध्यक्ष की नियुक्ति –</u>

1. मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाओं आदि का कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वार निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के अनुग्रह तथा प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कारण बतायें उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्ति को उसके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियॉ कर सकता है अथवा उक्त पदो के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

गनेशसिंह पु० भगवतसिंह सा० कोटडा

८.६.९७

राजधर सिंह

कार्यालय उप निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514897

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य –

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकारों एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे।

1. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख–रेख करने के लिए उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।
3. इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य –

अध्यक्ष ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बतायें गये विषय पर विचार–विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई निर्णय नही ले सकता।

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य –

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।

राजपाल सिंह
ला० नं०-3, ता० की अवधि......
[illegible] विक्रेता, तह० पहिहान, पीलीभीत

कार्यालय उप निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रू.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BT 514898

3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त करना उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही करना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्‌देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागाकेन्द्रों/संस्थाओं/ उपसंस्थाओं का गठन कर सकना ताकि उनके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों, आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम, उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी भी शिकायत की जॉच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना। सचिव के कार्यो का ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन आवश्यक है।

<u>उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य –</u>

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से अधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से दिये कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

८-६-९८

राजधर सिंह

क्र0 सं0-3, लाइ0 की अवधि......

स्टाम्प विक्रेता, तह0 मडिहान, मीरजापुर

कार्यालय उप निबन्धक

मडिहान मीरजापुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514899

<u>बैंक एकाउण्ट खोलना/संचालन करना –</u>

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

<u>विधिक कार्यवाही –</u>

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही हो तो सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

<u>सम्पत्ति सम्बन्धी –</u>

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।

२६३
४७

जुन्नसिंह पु० भगवानसिंह स्था० कन्धोड़ा ... मडिहान

रजिस्टर ...

८-४९४

राजधर सिंह
लाο नं०-3, लाभ की वर्जित......
स्टाम्प विक्रेता, तह० मडिहान, मीरजापुर

कार्यालय उप निबन्धक
मडिहान मीरजापुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514950

2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख-विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।

5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है या आवश्यकता पड़ने पर बैंक/संस्था/कम्पनी से ऋण ले सकता है या ऋण दे सकता है।

7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक भारित, गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है, ले सकता है, दे सकता है।

राजधर सिंह

आवेदन सं०: 201901002001837

न्यास पत्र

बही सं०: 4	रजिस्ट्रेशन सं०: 6	वर्ष: 2019

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 900 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600

श्री मुन्नर सिंह ,
पुत्र श्री जगनरायन सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: बघौडा पो0 बघौडा मडिहान मीरजापुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 09/04/2019 एवं 12:35:25 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मड़िहान मीरजापुर श्री त्रिभुवन नाथ (प्रभारी)
उप निबंधक :मड़िहान
मिर्जापुर
09/04/2019

मिर्जापुर मरिहन लिपिक
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514951

विशेष –

1. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते है परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट **ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

2. अध्यक्ष ट्रस्टी यदि उचित समझें तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी किन्ही प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा किसी कार्यवाही को कही भी किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी। **ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट** की उक्त न्यास विलेख एवं उसमे सन्निहित **ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है।

3. अध्यक्ष ट्रस्टी उद्देश्य एवं नियमावली मे किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु पंजीकृत कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे कर संशोधन कर सकता है।

आवेदन सं०: 201901002001837

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 6 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री मुन्नर सिंह, पुत्र श्री जगनरायन सिंह

निवासी: बघौंडा पो0 बघौंडा मडिहान मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य

न्यासी 2: 1

श्री नेब्बू सिंह, पुत्र श्री जगनरायण सिंह

निवासी: बघौरा मडिहान मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री विनोद कुमार सिंह , पुत्र श्री दयाराम सिंह

निवासी: बघौंडा मडिहान मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री अरविन्द , पुत्र श्री कुंजराम

निवासी: पथरखुरा पो0 बघौरा मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

मड़िहान मीरजापुर श्री त्रिभुवन नाथ
(प्रभारी)
उप निबंधक : मड़िहान
मिर्जापुर

मिर्जापुर मरिहन लिपिक
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 514952

18

मसविदा किया—श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एडवोकेट, तहसील मड़िहान, जिला—मीरजापुर। मो0नं0—6388410931

टाईप किया—सचिन देव गुप्ता दीवानी कचहरी मीरजापुर, रजि0नं0—485/13

मो0नं0—9335315722

दिनॉक—08.04.2019

Sachin

मुन्नर सिंह

(संस्थापक/अध्यक्ष)

ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट

गवाह—1—विनोद कुमार सिंह पुत्र दयाराम सिंह निवासी बघौड़ा, तहसील—मड़िहान, जिला—मीरजापुर। मो0नं0—7080126394

आधार सं0—5220 7696 9199

विनोद कुमार सिंह

गवाह—2 अरविन्द पुत्र कुंजराज निवासी पथरखुरा, पोस्ट—बघौरा, जिला—मीरजापुर, जिला—मीरजापुर। मो0नं0—9793891923?

आधार सं0—6140 3728 3752

मुन्नर सिंह [illegible] अरविन्द

आवेदन सं०: 201901002001837

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 7 के पृष्ठ 357 से 392 तक क्रमांक 6 पर दिनाँक 09/04/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मड़िहान मीरजापुर श्री त्रिभुवन नाथ (प्रभारी)
उप निबंधक : मड़िहान
मिर्जापुर
09/04/2019

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY Ram Dhani Singh NOTARIAL नोटरी NOTARIAL R.No.28(5)1991 Tahsil Marihan, Distt. Mirzapur (U.P.)

EP 013480

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथपत्र
=======

शपथपत्र द्वारा मुन्नर सिंह पुत्र जगनरायन सिंह निवासी ग्राम व पो0 बघौड़ा तह0 मड़िहान, जिला मीरजापुर उम्र लगभग वर्ष

शपथग्राही शपथपूर्वक निम्नांकित बयान करता है:-

दफा1- यह कि शपथग्राही पता उपरोक्त का स्थायी निवासी है।

दफा2- यह कि शपथग्राही ओम शिवशक्ति विकास ट्रस्ट का ट्रस्टी है हम शपथग्राही आपके शाखा मे खाता खोलना चाहता है।

दफा3- यह कि प्रधान ट्रस्टी मुन्नर सिंह के साथ सह ट्रस्टी नेब्बू सिंह पुत्र जगनरायन सिंह जो कि ट्रस्ट मे सहखातेदार है।

दफा 4- यह कि हम शपथग्राही प्रधान ट्रस्टी के साथ सह ट्रस्टी भी खाता मे आजीवन सहखातेदार बने रहेगें।

दफा 5- यह कि शपथपत्र का कुल मजमून दफात 1 लगायत 4 मेरी व्यक्तिगत जानकारी मे सत्य व सही है। कोई बात छिपाई नहीं गयी है। ईश्वर मेरी मदद करें।

मुन्नर सिंह

शपथग्राही-

दिनांक:-

NOTARY Ram Dhani Singh R.No. Tahsil Marihan, Distt. Mirzapur (U.P.)

२६.६.१९

राजधर सिंह

मुन्नर सिंह

27.06.19

मुन्नर सिंह

an affidavit declaration before me

1110 A.M./P.M. and I administered

oath to him/her who is identified by

देवदत्त सिंह एड०

save ... the

deponent ... and understands the

contents of the affidavit declaration

... endover ... and ...

1972

NOTARY

Ram Dhani Singh

गोटी

R.No. 28 (E) 1994

Tahsil Marihan, Distt. Mirzapur (U.P.)

NOTARY

Tahsil Marihan, Distt. Mirzapur